

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव-सह-
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

पटना-15, दिनांक : 17 मई, 2015

विषय :- समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-6862 दिनांक 12.05.2015 के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के लिए श्री अशोक कुमार चौधरी, भा०प्र०से० (72), सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

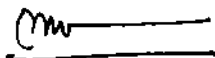
समिति के अध्यक्ष द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण पर विचारण हेतु आपके विभाग में संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में निम्नलिखित सूचना की मांग की गयी है-

1. प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम ।
2. पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या ।
3. किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी ?
4. नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ') ।
5. क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश ।
6. क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं ?
7. नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय) ।
8. नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया ।
9. पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता ।
10. क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं ।
11. नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं ।
12. नियोजन हेतु 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' ।

13. उपर्युक्त 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं ।
14. नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए) ।
15. प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि ।
16. प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक ।
17. प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना ।
18. प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि ।
19. जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी ।
20. जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ) ।

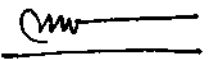
चूंकि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचारण हेतु समिति के लिए मात्र तीन माह की अल्पावधि निर्धारित है, अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन


(आमिर सुबहानी)

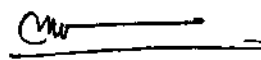
सरकार के प्रधान सचिव-सह-
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति

ज्ञापांक : उ०स्त०स०/सा०प्र०-०१/२०१५-सा०प्र०-००२ /पटना, दिनांक : १७.०५.२०१५
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के प्रधान सचिव-सह-
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति

ज्ञापांक : उ०स्त०स०/सा०प्र०-०१/२०१५-सा०प्र०-००२ /पटना, दिनांक : १७.०५.२०१५

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
साथ ही, आपको निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में उपर्युक्त वांछित सूचना संबंधित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।


सरकार के प्रधान सचिव-सह- १७.५.१५
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति